

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 197/2021

निर्णय दिनांक :- 18-11-21

उनवानी

1. महिपाल सिंह पुत्र हरिराम] गारि मेघवाल, 3 दागाण्डे
२. राजकुमार पुत्र हरिराम]वादी
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

.....प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक

:-निर्णय:-

वादीगण की ओर से रत्नप की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से तहसीलदार बुहाना की उपस्थिति में आज तारीख 18-11-21 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" ग्राम 3 दागाण्डे हिवत भूखे खाल के 80 के खाने 179
वकाला 10-22 के के चमेली पत्नी हरिराम सिंह 1/6, महिपाल राजकुमार
पुत्र हरिराम सिंह 1/6, शकुन्तला पुत्र हरिराम सिंह 1/6,
रत्ना पुत्र हरिराम सिंह 1/6 के खान पर चमेली पत्नी हरिराम
सिंह 1/6, महिपाल सिंह पुत्र हरिराम सिंह 1/6, राजकुमार पुत्र हरिराम
सिंह 1/6, शकुन्तला पुत्री हरिराम सिंह 1/6, रत्ना पुत्री
हरिराम सिंह 1/6 उक्त विप. गाँव के अड्डेय डिपे जाग
है। तहसीलदार बुहाना के अड्डेय डिपे जाग है कि
3-रत्ना पुत्री राजकुमार के अड्डेय डिपे जाग है "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18-11-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प 3 दागाण्डे के मजमे आम में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

